

प्रेषक,

राम आसरे राम,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 22 मई, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत कम्बल कारखानों के पुनर्संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि को चार किशतों में विभाजित करते हुए प्रथम किशत की वित्तीय स्वीकृति। महोदय,

उपर्युक्त विषयक उओप्रओ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-54/खाओग्राओबोओ/कम्बल/8-18/कओकाओपुनर्संचालन/2020-21, दिनांक 21-05-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 108.22 लाख (रू0 एक करोड़ आठ लाख बाइस हजार मात्र) को चार किशतों में विभाजित करते हुए प्रथम किशत के रूप में धनराशि रू0 27.00 लाख (रू0 सत्ताईस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उओप्रओ इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बीओ एमओ-8 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि का आहरण कर उसे पीओएलओएओ अथवा बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (4) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा। एक मुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद को या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एवं आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-28-कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

( राम आसरे राम )

अनु सचिव।

संख्या-44/2020/379(1)/59-2-2020-35(खा)/2017 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 8- एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( राम आसरे राम )

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।